

भूमि सुधार उप समाहर्ता का न्यायालय पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।

टी०ए० मिस केस सं०-६६ / २०१८-१९

आदेश की तिथि	आदेश	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद टिप्पणी तारीख साथ
21.07.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि १५.८.१८ को निर्धारित की जाती है। अभिलेख १५.८.१८ को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Deem 21.7.18</i></p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
14.08.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर का जांच प्रतिवेदन अप्राप्त है। जांच प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु अंचल अधिकारी, मनोहरपुर को स्मारित करें। अगली तिथि १९.९.१८ को निर्धारित की जाती है। अभिलेख १९.९.१८ को उपस्थापित करें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Deem 14.8.18</i></p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	
19.09.2018	<p>अभिलेख उपस्थापित। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर के पत्रांक 32 (B) दिनांक 07.09.2018 द्वारा जांच प्रतिवेदन दिनांक 07.09.2018 को प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी, चक्रधरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि आवेदक रंजीत सामन्त, पिता स्व० सोनाराम सामन्त, जाति-तमडिया (अ०पि०वर्ग०), ग्राम-मनोहरपुर, थाना मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 की धारा 46(प)प्रोभिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत भूमि हस्तांतरण हेतु आवेदन पत्र दिया है। खतियानी जमीन मौजा-मनोहरपुर, थाना नं०-९०, खाता नं० 1161, प्लॉट नं० 2313, रकवा-०.०४ ए०, क्रेता गिरधारी^{जाति} महतो पिता रव० गोकुल महतो, जाति-कुरमी (अ०पि०वर्ग०), ग्राम-बेलपोस, पो०- दुनिया, थाना-सोनुवा, जिला-^{प०} सिंहभूम के पास बिक्री करना चाहते हैं। दोनों पक्षों को सूचना निर्गत किया गया एवं आम इश्तेहार किया गया।</p> <p>जांच प्रतिवेदन के अवलोकन से पता चलता है कि बिक्री की जानेवाली जमीन आवेदक रंजीत सामन्त, पिता स्व० सोनाराम सामन्त, जाति-तमडिया (अ०पि०वर्ग०), ग्राम-मनोहरपुर, थाना मनोहरपुर, जिला प० सिंहभूम के दखल कब्जे में है तथा अपने हक के ही जमीन को क्रेता के पास बेचना चाहते हैं। आम इश्तेहार एवं नोटिस तामिला प्रतिवेदन के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित जमीन को बेचे जाने पर किसी भी व्यक्ति के द्वारा आजतक किसी भी प्रकार की आपत्ति इस कार्यालय को प्राप्त नहीं हुआ है। तामिला प्रतिवेदन अभिलेख के साथ संलग्न है।</p> <p>बिक्रेता एवं क्रेता थाना-मनोहरपुर, जिला-प० सिंहभूम के निवासी हैं। बिक्रेता का जाति तमडिया (अ०पि०वर्ग०) एवं क्रेता का जाति कुरमी (अ०पि०वर्ग०), समुदाय के सदस्य हैं।</p> <p>बिक्रेता उक्त वर्षित भूमि चिकित्सा हेतु बेचना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि के बिक्री के पश्चात बिक्रेता को मनोहरपुर अंचल अंतर्गत रकवा ८.३५ ए० अवशेष भूमि बचता है। अंचल अधिकारी, मनोहरपुर द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन तथा आम इश्तेहार पर आपत्ति प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप आवेदक/आवेदिका को अपने हक एवं दखल की उपरोक्त जमीन क्रेता गिरधारी^{जाति} पिता-स्व० गोकुल महतो, जाति-कुरमी (अ०पि०वर्ग०), ग्राम-बेलपोस, पो०-दुनिया, थाना-सोनुवा, जिला-प० सिंहभूम को उक्त भूमि बेचने की स्वीकृति छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(i) प्रोभिजो "ए" / "बी" के अन्तर्गत दी जाती है।</p> <p>आदेश की प्रति पक्षकार को उपलब्ध करायें।</p> <p style="text-align: right;"><i>Deem 19.9.18</i></p> <p style="text-align: right;">भूमि सुधार उपसमाहर्ता पोड़ाहाट, चक्रधरपुर।</p>	